


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....मे.कल्लम..... बनाम देवीलाल.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 88/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मे.कल्लम - लालूराम - बालीबाई</u></p> <p>पिता श्री <u>वरदीचन्द जी मीणा, भांगीबाई पत्नी वरदीचन्द जी मीणा</u></p> <p>निवासी- <u>गिणुड</u>..... तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>गिणुड</u>..... स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर. <u>1039, 1057</u> <u>1058/3961, 1069, 2494, 2497/3979, 935, 946/3984</u> <u>0-21, 0-07, 0-35, 0-12, 0-27, 0-06</u></p> <p>कुल कीता <u>08</u>..... कुल रकबा <u>1.4700</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिणुड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1039, 1057, 1058/3961, 1069, 2494, 2497/3979</u> <u>0-16, 0-23, 0-21, 0-07, 0-35, 0-12</u> <u>935, 946/3984</u> <u>0-27, 0-06</u></p> <p>कुल कीता <u>08</u>..... रकबा <u>1.4700</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500</u> = <u>08</u> रुपये अक्षर <u>एक हजार पांच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>